भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:3627

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तंबाकू का सेवन और विज्ञापन पद्धतियाँ

†3627. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास गुटखा और चबाने वाले तंबाकू सहित तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार, आय-समूह-वार और आयु-समूह-वार आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तंबाकू की खपत को कम करने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने तंबाकू और पान मसाला उत्पादों को बढ़ावा देने में छद्म विज्ञापन, प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रचार और ब्रांड विस्तार की सीमा और प्रभाव की जांच की है;

(ङ.) यदि हां, तो इस संबंध में विनियामक निगरानी कों सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या तंबाकू की मांग को कम करने के लिए, विशेष रूप से युवाओं और निम्न-आय वाले परिवारों के बीच, कोई अतिरिक्त उपाय विचाराधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस-2, 2016-17) के दूसरे राउंड के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 28.6% वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और आयु-वार तंबाकू उपयोगकर्ताओं का विस्तृत डाटा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ख): जीएटीएस-2, 2016-17 के दूसरे राउंड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तंबाकू के कारण होने वाली मृत्यु दर 1.3 मिलियन (13 लाख से अधिक) होने का अनुमान है।

(ग): अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ): सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए 2003) की धारा 5 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाती है।

इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मौजूदा नियामक ढांचे के अनुसार, सभी निजी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। विज्ञापन संहिता के नियम 7(2)(viii)(क) में यह प्रावधान है कि सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, शराब, अल्कोहल, मादक पेय या अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने वाले किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथापि ऐसे उत्पादों के ब्रांड के नाम या लोगो का उपयोग करने वाले उत्पाद का विज्ञापन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा विज्ञापन का प्रमाणीकरण सहित कुछ शर्तों के अधीन टीवी पर किया जा सकता है। विज्ञापन संहिता के किसी भी उल्लंघन का पता चलने पर, परामर्शी-पत्र जारी करने, चेतावनी देने, माफीनामा स्क्रोल संबंधी आदेश आदि के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। मंत्रालय समय-समय पर प्रसारकों को विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परामर्शी-पत्र भी जारी करता है।

(च): तंबाकू की मांग को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और संवितरण को विनियमित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 नामक एक व्यापक कानून बनाया है।

- मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीओ), 2019 भी लागू किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और संबंधित उपकरणों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, संवितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीओटीपीए के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने और तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया।

- इन जागरूकता प्रयासों के भाग के रूप में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023 से 60 दिनों का वार्षिक तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के खतरों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें तंबाकू के सेवन से बचने या उसे छोड़ने के लिए सशक्त बनाना है।

- मंत्रालय ने एक टोल-फ्री राष्ट्रीय तंबाकू त्याग हेल्पलाइन सेवा (1800-112-356) स्थापित की है, जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए चार हेल्पलाइन केंद्रों (दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, बेंगलुरु) द्वारा संचालित की जाती है और क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं सहित 16 भाषाओं में परामर्श प्रदान करती है।

- एनटीसीपी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), राष्ट्रीय दंत आयोग (एनडीसी) और राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) के संगठित प्रयासों से देश भर में 2,000 से अधिक तंबाकू निवारण केंद्र (टीसीसी) स्थापित किए गए हैं।

अनुलग्नक 1

(i) 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों में तंबाकू का सेवन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जीएटीएस 2, 2016-17:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करने वाले वयस्कों का प्रतिशत
	कुल
जम्मू एवं कश्मीर	23.7
हिमाचल प्रदेश	16.1
पंजाब	13.4
चंडीगढ़	13.7
उत्तराखंड	26.5
हरियाणा	23.6
दिल्ली	17.8
राजस्थान	24.7
उत्तर प्रदेश	35.5
छत्तीसगढ़	39.1
मध्य प्रदेश	34.2
पश्चिम बंगाल	33.5
झारखंड	38.9
ओडिशा	45.6
बिहार	25.9
सिक्किम	17.9
अरुणाचल प्रदेश	45.5
नागालैंड	43.3
मणिपुर	55.1
मिजोरम	58.7
त्रिपुरा	64.5
मेघालय	47.0
असम	48.2
गुजरात	25.1
महाराष्ट्र	26.6
गोवा	9.7
आंध्र प्रदेश	20.0
तेलंगाना	17.8
कर्नाटक	22.8
केरल	12.7
तमिलनाडु	20.0
पुदुचेरी	11.2

आयु-वार:

आयु वर्ग	तंबाकू का सेवन (%)
15-24	12.4
25-44	30.1
45-64	39.8
65+	41.4
